बालिका बचाने के राष्ट्रीय अभियान में निर्वाचित प्रतिनिधियों को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए -प्रधानमंत्री

बालिका बचाओ विषय पर आयोजित राष्ट्रीय बैठक में प्रधानमंत्री का संबोधन

प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने कहा है कि प्रत्येक निर्वाचित प्रतिनिधि को **बालिका बचाओ राष्ट्रीय अभियान** में सक्रिय भागीदारी के अपने कर्तव्य पर विचार करना चाहिए। डा0 सिंह ने आज नई दिल्ली में बालिका बचाओ राष्ट्रीय बैठक के अवसर पर ये विचार व्यक्त किए।

कन्या भ्रूणहत्या को सबसे ज्यादा अमानवीय, असभ्य और निंदनीय बताते हुए डा0 सिंह ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ समाजिक भेदभाव की शुरूआत हमारे घरों से ही होती है। यहां तक कि यह बालिका के जन्म से पहले से शुरू हो जाती है। उन्होंने कहा कि पितृसत्तात्मक सोच और बालक शिशु की चाहत से ही कुछ अनैतिक माता-पिता और चिकित्सकों की मिलीभगत से लिंग पहचान जैसे घृणित कार्यो को अंजाम दिया जाता है।

समाजिक जागरूकता और गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक अधिनियम को कड़ाई से लागू करने की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने सभी से इस अनैतिक कार्य को रोकने और आधुनिक तकनीक का दुरूपयोग न करते हुए इससे जिन्दगी को बचाने की अपील की।

डा0 सिंह ने स्वास्थ्य मंत्रालय से पंचायतों और शहरी स्थानीय संस्थाओं के निर्वाचित लाखों प्रतिनिधियों पर ध्यान देकर उनका उपयोग इस अनैतिक कार्य के खिलाफ करने को कहा। उन्होंने महिला और बाल विकास मंत्रालय से कहा कि हमारे देश के पोषण कार्यक्रमों को मजबूती प्रदान करने के लिए महिला पंचायत नेताओं और महिला स्वंय सहायता संगठनों का समर्थन जुटाना चाहिए।

बालिका सशक्तिकरण में प्रत्येक नागरिक की भूमिका की अपील करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह कार्य हमारे घर से, हमारे परिवारों और हमारे समाज से शुरू होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये बात वह भारत के प्रधानमंत्री होने के नाते नही कह रहे हैं बल्कि तीन पुत्रियों के पिता होने पर गर्व होने के नाते कह रहे हैं। डा0 सिंह ने कहा कि वे अपनी खुद की बेटियों की तरह से ही अपने देश की प्रत्येक लड़की के लिए शुभकामनाएं देते हैं।

बालिका बचाओ पर राष्ट्रीय बैठक का आयोजन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया था। बैठक के उदघाटन सत्र में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डा0 अम्बूमणि रामदास, महिला और बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती रेणुका चौधरी एवं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री पी0 लक्ष्मी ने भी अपने विचार प्रकट किए।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा दिये गये अभिभाषण का मूल पाठ इस प्रकार से है-

मैं अपने समय के इस गंभीर समाजिक एवं विकासात्मक मुददे-हमारे देश में बालिका शिशुओं की उपेक्षा को उठाने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को बधाई देता हूँ।

भारत में महिलाओं के आधुनिकीकरण के लिए बनाए गये कार्यो का मिला-जुला रिकार्ड रहा है। एक तरफ हम दुनिया के उन कुछ देशों में से हैं जहां आजादी के बाद जल्द ही वैश्विक महिलाधिकारों के माध्यम से महिलाओं को राजनैतिक शक्ति प्रदान की गई। हम अपने आम जीवन में भी महिलाओं की क्षमता में विश्वास रखते हैं। आज हमारी स्थानीय संस्थाओं में दस लाख से ज्यादा महिला प्रतिनिधि हैं। यह संख्या बाकी सारी दुनिया की चुनी हुई महिला प्रतिनिधियों से भी ज्यादा है।

लेकिन राष्ट्र के जनजीवन के बहुत से हिस्सों में राजनैतिक सशक्तिकरण के लिए उठाए जाने वाले जरूरी कदमों को कार्यान्वित नहीं किया गया है। महिला साक्षरता में हमारा रिकार्ड संतोषजनक स्थिति से काफी पीछे है क्योंकि पिछली जनगणना के दौरान केवल 54 प्रतिशत महिलाओं के साक्षर होने की बात सामने आई थी। पिछली जनगणना में भी फिर से बाल अनुपात में कमी दर्ज की गई। पैतृक रूप से भेदभाव जैसी अवधारणाओं के परिणामस्वरूप ही महिलाओं और बालिकाओं के प्रति भेदभाव अपनाया जाता है। यह देशभर के लिए शर्म की बात है और हमें इस चुनौती का सामना ईमानदारी से करना चाहिए।

कोई भी राष्ट्र,समाज और समुदाय अपना सिर नहीं उठा सकता और सभ्य संसार का एक हिस्सा होने का दावा नहीं कर सकता अगर वह आधी मानवता का नेतृत्व कर रहीं महिलाओं के खिलाफ भेदभाव की भावना का समर्थन करता है। हमारी एक प्राचीन सभ्यता है और हम अपने आप को एक आधुनिक राष्ट्र भी कहते हैं और इसके बावजूद भी हम अपने समाजिक ढांचे में महिलाओं के खिलाफ अपनाये जाने वाले समाजिक भेदभाव के कारण गंभीर लिंग असंतुलन के कलंक के साथ जी रहे हैं।

आज की बैठक का मुख्य विषय देश में घटते बाल लिंग अनुपात है। लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि लिंग संबंधित वंचना एक अतर संबंधित स्थिति है। महिला असाक्षरता, समाजिक रूढिव़ादी परम्परा जैसे बाल विवाह, दहेज, अपौष्टिक भोजन, सार्वजनिक स्थानों में महिलाओं के प्रवेश पर निषेध आदि भारतीय महिलाओं खासकर बालिकाओं में असुरक्षा का भाव पैदा करते हैं।

पिछले चार दशकों में छह वर्ष के आयुवर्ग में बाल लिंग अनुपात में लगातार गिरावट देखी जा रही है। 1981 में प्रति हजार लड़कों पर लड़कियों की संख्या 962 थी जो 2001 में घटकर 927 हो गई और यह स्थिति वास्तव में चिन्ताजनक है। इससे यह स्पष्ट होता है कि बढत़ी आर्थिक समृद्धि और शिक्षा स्तर ने इस गंभीर समस्या को कम

करने में कोई योगदान नहीं दिया है। वास्तव में जनगणना आंकड़े बताते है कि देश के कुछ समृद्ध राज्यों में ही यह समस्या बहुत गंभीर है और 2001 की जनगणना के अनुसार प्रति हजार लड़कों पर लड़कियों की संख्या पंजाब में 798, हरियाणा में 819 , दिल्ली में 868 और गुजरात में 883 है।

1990 के दशक के प्रारम्भ में मेरे अभिन्न मित्र प्रो0 अर्मत्य सेन ने विश्व का ध्यान इस तथ्य की ओर खीचा था कि दुनिया में एक ऐसी स्थिति बन गई है कि 100 मिलियन से अधिक महिलाएं लापता हैं। द0एशिया, प0एशिया और चीन में महिलाएं लापता हैं। यूरोप, अमरीका और जापान में महिलाएं पुरूषों से ज्यादा हैं। मुख्य अंतर यह है कि इन देशों में महिलाएं मूलभूत पोषाहार और स्वास्थ्य देखभाल के मामलें में कम भेदभाव की शिकार हैं। पोषाहार और स्वास्थ्य देखभाल ही ऐसी चीजें हैं जो समानता कायम करती हैं। मुझे खुशी है कि आज हम इस महत्वपूर्ण मुददे पर स्वास्थ्य मंत्रालय एवं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की उपस्थिति में चर्चा कर रहे हैं और हम अपनी सभ्यता पर इस घातक प्रहार से निबटने के लिए एक प्रभावी कदम उठाएगें।

महिलाओं के खिलाफ समाजिक भेदभाव की शुरूआत हमारे घर से ही होती है और यहां तक की बालिका शिशु के जन्म से पहले ही यह शुरू हो जाता है। सबसे अधिक अमानवीय, असभ्य और निन्दनीय परंपरा बालिका भ्रूण हत्या ही है। उन्होंने कहा कि पितृसत्तात्मक सोच और बालक शिशु की चाह से ही कुछ अनैतिक माता-पिता और चिकित्सकों की मिलीभगत से लिंग पहचान जैसे घृणित कार्यो को अंजाम दिया जाता है।

हम समाजिक जागरूकता और प्रसव पूर्व और गर्भधारण पूर्व लिंग परीक्षण कानून को कड़ाई से लागू कर इस समस्या से पार पा सकते हैं। मैं जीवन रक्षक आधुनिक तकनीकी के दुरूपयोग से संबंधित इस परम्परा को समाप्त करने में सभी पक्षों से मदद की अपील करता हूँ। कुछ राज्य सरकारों, जो इस समस्या से ग्रस्त हैं, ने इस मुददे पर कुछ सकारात्मक कदम उठाए हैं। गुजरात का डिकरी बचाओं अभियान, तमिलनाडु की बालिका बचाओं योजना, हरियाणा की देवी रूपक योजना, दिल्ली का लाडली अभियान और पंजाब के गांवों में लिंग अनुपात सुधारने के लिए पंचायतों को दिए जाने वाले नकद पुरूस्कार जैसी योजनाएं अच्छे कदम हैं। इन उपलब्धियों को प्राप्त होने वाले परिणामों के आधार पर संगठित किए जाने की जरूरत है लेकिन सरकार अकेले इस समस्या का समाधान नहीं कर सकती। हालाकि सरकार का इस संबंध में जनमत तैयार करने में सक्रिय होना बहुत जरूरी है। लेकिन हमें बालिका शिशु को बचाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नागरिक समाज की भागीदारी की भी आवश्यकता है।

स्वास्थ्य मंत्रालय को इसके खिलाफ संघर्ष में पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों के लाखों निर्वाचित प्रतिनिधियों को इसके संबंध में जागरूक बनाकर उन्हें माध्यम रूप में इस्तेमाल करने दीजिए। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को देश में पोषाहार कार्यक्रम को मजबूत करने में महिला पंचायत नेताओं और महिला स्वंय सहायता समूहों का समर्थन जुटाना चाहिए। बालिका शिशु बचाने का कार्य देश के हर निर्वाचित प्रतिनिधियों का एजेंडा होना चाहिए। यह कहना ठीक नहीं है कि महिलाएं ही केवल इस अभियान का हिस्सा

होगीं। मेरा मानना है कि हर निर्वाचित प्रतिनिधि को इस राष्ट्रीय अभियान में सक्रिय भागीदारी को अपना कर्तव्य समझना चाहिए।

गंभीर लिंग अनुपात के कारण महिला साक्षरता पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए और यह बात लोगों के दिमाग में भरने की चुनौती हमें स्वीकारनी चाहिए। यूपीए अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने हाल ही में कहा था कि हमें महिला साक्षरता पर ध्यान देने के लिए राष्ट्रीय साक्षरता अभियान में बदलाव करने की जरूरत है।

निष्कर्ष के तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय बालिकाओं की दुर्दशा से संबंधित विभिन्न कारकों को दूर करने के लिए ठोस एवं बहुआयामी समाजिक पहल करने की जरूरत है। हमें महिलाओं और बालिकाओं पर ज्यादा ध्यान देने के लिए कानूनी प्रावधानों को कड़ाई से लागू करने, मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाओं और पोषाहार को मजबूत करने, राष्ट्रीय साक्षरता और स्कूली शिक्षा को एक नई दिशा देने की जरूरत है। हमें अपने सामाजिक ढांचे में महिलाओं के खिलाफ अपनाये जाने वाले सभी तरह के भेदभाव को समाप्त करने के वास्ते राष्ट्रीय अभियान चलाने के लिए नागरिक समाज के नेताओं खासकर धार्मिक नेताओं को एकजुट करने की जरूरत है।

मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि हमारी सरकार राष्ट्रीय चिन्ता से जुड़े इस क्षेत्र में उठाए जाने वाले किसी भी कदम का भरपूर सर्मथन करेगी।

मैं प्रत्येक नागरिक से बालिकाओं को हर तरह से सशक्त बनाने के लिए आगे आने और मदद करने की अपील करता हूँ। इसकी शुरूआत घर से, हमारे परिवार से और हमारे समुदाय से होनी चाहिए। मैं प्रधानमंत्री के तौर पर ऐसा नहीं कह रहा हूँ बल्कि तीन पुत्रियों का पिता होने पर गर्व होने के नाते कह रहा हूँ । मैं अपनी खुद की बेटियों की तरह से ही अपने देश की प्रत्येक लड़की के लिए शुभकामनाएं देता हूँ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपकी इस बैठक की सफलता की कामना करता हूँ। हम एक चुनौतीपूर्ण ज्वलंत मुददें पर चर्चा कर रहे हैं।